POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2013/अंक 09

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 सितम्बर, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 सितम्बर, 2013 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! देश में जब भी चुनाव नजदीक आते हैं सरकारें मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। घोषणाओं का अम्बार लग जाता है। उन्हें भ्रमित करने के प्रयास भी किए जाते हैं। कभी गरीबी, भूख व कुपोषण तो कभी जाति व सम्प्रदाय के नाम बरगलाया जाता रहा हैं। उनकी भलाई के लिए कई योजनाएं व कार्यक्रम शुरू करने के वादे किए जाते हैं। इन सबके पीछे केवल एक ही लक्ष्य है 'अपना वोट बैंक पक्का करना'।

केन्द्र सरकार ने भी इसी मकसद से खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। परन्तु विधेयक पर संसद में किसी भी स्तर पर विचार-विमर्श नहीं हुआ। केन्द्र सरकार अपनी सोची-समझी रणनीति के तहत विधेयक को राष्ट्रपति के अध्यादेश से लागू करवाने में सफल रही। क्योंकि, माना गया कि चुनावी मौसम को देखते हुए कोई दल इसका विरोध नहीं करेगा। अगर कोई दल विरोध करेगा तो वह गरीब विरोधी कहलाएगा। चुनावों में इसका नुकसान भी उसे भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि सभी दल चाहे दबी जुबान में ही क्यों न हो, इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

आज देश में बुद्धिजीवियों व विचारकों की कमी नहीं! सवाल खड़ा हुआ, क्या यह राष्ट्रीय लोकतंत्र के हित में हैं? देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, कृषि व किसानों का हित, खाद्यान्नों की खरीद, उनके भण्डारण की स्थिति, वितरण व्यवस्था, गरीबों की पहचान एवं बढ़ता भ्रष्टाचार जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं जो देश की पूरी आबादी से जुड़े हैं। ऐसे में क्या विधेयक पर समग्र दृष्टि से संसद में चर्चा एवं बुद्धिजीवियों व विचारकों के बीच एक लम्बी बहस की जरूरत नहीं थी? ग्राम गदर के पाठकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया वे भी इस बारे में अपने विचार हमें लिख भेजें।

लागू करें 20 अगस्त से खाद्य सुरक्षा

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खाद्य सुरक्षा योजना को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त से लागू करने को कहा है। कांग्रेस शासित 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि वे इस योजना को जस का तस लागू करे।

कांग्रेस का मानना है कि यह योजना चुनाव में उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसी समय योजना को पूरे प्रदेश में 20 अगस्त, 2013 से लागू करने का भरोसा दिया।

तुरत-फुरत में दिए निर्देशों पर कवायद शुरू

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पात्र परिवारों के चयन के लिए 20 अगस्त से लगाए जाने वाले शिविरों के लिए प्रदेश में विभागवार जिम्मेदारी तय कर दी गई है।

गांवों में जहां ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज विभाग के निर्देशन में शिविर लगाए जाने की बात है, वहीं शहरों में शिविरों का जिम्मा स्वायत शासन विभाग को सौंपा गया है। शिविरों की निगरानी का काम जिला कलेक्टरों को दिया गया है।

दालें, सब्जियां और फल भी खिलाएगी सरकार

केन्द्र सरकार देश में 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देने की तैयारी कर रही है। वहीं राजस्थान सरकार राज्य में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा देने की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए जल्द ही राज्य में न्यूट्रिशियन मिशन स्थापित किया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव सी.के.मैथ्यू खुद इसमें जुटे हैं।

मिशन पहले महिलाओं और बच्चों से शुरू होगा। इसके जरिए गर्भवती स्त्रियों को नौ माह तक पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जाएगा। जिसमें दालें, सब्जियां, फल और दूध आदि भी शामिल होंगे।

प्रसव के बाद बच्चे व उसकी मां को एक से दो वर्ष तक पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से केवल सरकारी अस्पतालों में प्रसूता को तीन दिन के लिए पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। इससे शिशु और मातृ मृत्यु दर में पिछले कुछ सालों में तीन फीसदी की दर से सुधार हुआ है। लेकिन अब भी राजस्थान इस मामले में पांच सबसे खराब राज्यों में शामिल है।

आजादी के बाद अब आई सुध

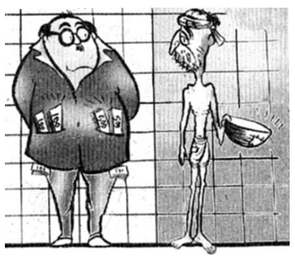

हमारे देश को आजाद हुए 67 साल बीत गए। इस दौरान देश की सरकारों ने गरीबी हटाने के लिए करीब 50 से भी ज्यादा योजनाएं चलाई। लेकिन कितनी गरीबी खत्म हुई इसका कोई सही लेखा-जोखा हमारी सरकार के पास नहीं है।

सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबों की भलाई व उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए गए। लेकिन क्या गरीबी कम हुई? अब केन्द्र सरकार उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल के जरिए भरपेट भोजन का सपना दिखाने जा रही है।

सरकार कर रही है जल्दीबाजी

इस योजना को शुरू करने में केन्द्र सरकार जल्दीबाजी दिखा रही है। इससे आम जन में यह सन्देश जा रहा है कि कांग्रेस चुनावों में वोट बटोरने के लिए यह अध्यादेश लाई है। अध्यादेश के लागू करने के तरीके पर भी अंगुलियां उठ रही है और मामला उच्चतम न्यायालय में दाखिल है।

न्यायालय पहले भी खाद्य सुरक्षा पर सुनवाई कर चुका है और न्यायालय ने सरकार को राशन प्रणाली दुरुस्त करने की सलाह भी दी है। विशेषज्ञों व दूसरे दलों का भी मानना है कि इतनी बड़ी योजना को बिना संसदीय चर्चा व बहस के लागू करना सही नहीं है। हालांकि चुनावी फायदे के मद्देनजर विरोधी दल इसका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं।

कैसी है गरीबी मिटाने की बाजीगरी?

सरकारी आंकड़ों में गरीबी की बाजीगरी आज ही नहीं, बल्कि कई सालों से चल रही है। अब शहरों में 33 रुपए और गांवों में 28 रुपए रोज खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा। यह बात देश के बड़े-बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं।

कृषि एवं खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ देविन्दर शर्मा का कहना है कि 33 रुपए में गाय-भैंस भी नहीं पाली जा सकती। पशुओं का चारा भी इससे महंगा है। इसके बावजूद हमारे अर्थशास्त्री और नेता गरीबी रेखा को सही ठहराने में लगे हैं। क्योंकि, सरकारें चाहती हैं कि गरीबी कम से कम दिखाएं। सवाल है कि जब देश में 21 फीसदी ही गरीब हैं तो फिर सरकार 67 फीसदी लोगों को खाद्य सुरक्षा क्यों दे रही है? मतलब साफ है, हमारे यहां गरीबी अभी भी आंकड़ों की हेरा-फेरी में फंसी है।

गरीबी केवल मानसिक स्थिति

गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा कानून बनाने व गरीबी हटाओं का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि गरीबी केवल मानसिक स्थिति है। इसका खाने-पीने या रुपए-पैसे जैसी भौतिक वस्तुओं की कमी से कोई मतलब नहीं है। यदि लोगों में आत्मविश्वास है तो वे खुद गरीबी से उबर सकते हैं।

गरीबी पर हाल ही तय मानकों पर उठे विवादों के बीच अपनी यह राय देकर राहुल गांधी खुद विवादों में आ गए हैं। उनके कहने का यह मतलब भी निकाला जा रहा है खाद्य सुरक्षा के बजाय सरकार गरीबों को स्वावलम्बी बनाने में जुटे।

मिलेगा रियायती दरों पर अनाज

सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत देश के 67 फीसदी लोगों तक सस्ती दरों पर अनाज पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसमें 75 फीसदी ग्रामीण और 50 फीसदी शहरी क्षेत्रों के लोग लाभान्वित होंगे।

सरकार का दावा है कि इसके लागू होने पर देश के 80 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। योजना के तहत देश की दो-तिहाई आबादी हर महीने 5 किलो चावल, गेहूं या मोटा अनाज प्राप्त करने की अधिकारी बन जाएगी। उन्हें चावल तीन रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और मोटा अनाज एक रुपए किलो के भाव से मिलेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हाल

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि केन्द्र सरकार एक रुपया गरीबों के लिए भेजती है तो गरीब तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। देश के उच्चतम न्यायालय ने भी गरीबों की पीड़ा का इजहार करते हुए एक रुपए में से अब सिर्फ एक पैसा ही गरीबों तक पंहुचने की बात कही है। नतीजतन योजनाओं के बजट हर साल बढ़ने के बावजूद असंख्य गरीब भूखे रह जाते हैं।

योजना आयोग खुद मानता है कि देश में केवल 57 फीसदी गरीबों के पास ही राशन कार्ड हैं। आयोग इसे भी स्वीकार करता है कि अनुदानित मूल्य पर बांटा जा रहा 58 फीसदी अनाज जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता।

केन्द्र सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर रही है। परन्तु यदि इसके क्रियान्वयन में उचित तरह की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो यह भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तरह निरर्थक साबित होगा।

नहीं आएंगे खाद्य सुरक्षा के दायरे में

राजस्थान में सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता व चौपहिया वाहन मालिकों के बाद अब चार कमरों के पक्के मकान वाले परिवारों को भी खाद्य सुरक्षा कानून की सुविधाओं से वंचित रखने पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के क्रियान्वयन में पात्र परिवारों के चयन के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पात्र परिवारों के बारे में हुई चर्चा में यह बात सामने आई है।

सबसे जरूरी है खाद्यान्न की सुरक्षा

देश में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का भंडार जमा है। लाखों टन अनाज खुले में अथवा त्रिपाल के नीचे रखा हुआ है। इसमें से हर साल लाखों टन अनाज बारिश में कुप्रबन्धन के कारण भीगकर खराब हो जाता है। यहां तक कि सरकारी व निजी गोदामों में भी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न सड़ जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अनाज की इस बरबादी पर कई बार सरकार की खिंचाई करते हुए गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने को कहा है। सबसे बड़ी जरूरत भण्डारण क्षमता की कमी से होने वाले इस नुकसान को रोकने की है।

नहीं होता पूरा खर्च

केन्द्र व राज्य सरकारें गरीबी मिटाने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं बनाती हैं। बजट में इसके लिए खूब धन भी दिखाया जाता है। लेकिन बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं होता। जो खर्च होता है उसमें से भी प्रभावशाली पदों पर बैठे अधिकारी पैसा डकार जाते हैं।

गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए मिलने वाली आवश्यक वस्तुएं जैसे अनाज, चीनी, केरोसीन आदि भी कालाबाजारी की भेंट चढ़ जाती है। सरकार दावा करती है कि वह राशन के जरिए गरीबों को सस्ता अनाज दे रही है। लेकिन यह बहुत कम गरीबों को मिल पाता है।

-रामस्वरूप दायमा, श्री माधोपुर, सीकर

भ्रष्ट लोग करेंगे गड़बड़ी

खाद्य सुरक्षा कानून से देश के गरीबों को भोजन मिलेगा। लेकिन इसके वितरण का सही तरीका नहीं होगा तो योजना में भ्रष्ट लोगों द्वारा गड़बड़ी की जाएगी।

इससे यह योजना भी पूरी तरह फेल साबित होगी। वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कालाबाजारी और भ्रष्टाचार व्याप्त है। लाखों टन अनाज व दूसरी वस्तुएं सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से खुले बाजार में ऊंची दरों पर बिक जाती है।

- महेश हाड़ा, झालावाड़

बन जाएंगे कामचोर

खाद्य सुरक्षा प्रणाली निर्धन वर्ग को आगे बढ़ाने के बजाय कमजोर करेगी। गरीब योजना पर आश्रित हो कर रह जाएंगे। उनमें आलसीपन व मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी जिससे वे कामचोर बन जाएंगे।

इसके बजाय सरकार को गरीबों के लिए ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। शिक्षा, रोजगार व प्रशिक्षण पर खास ध्यान दिया जाए। इससे वे खुद मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे। - मुकेश मीणा, दौसा

मिले शुद्ध खाद्य सामग्री

खाद्य सुरक्षा के तहत गरीबों को साफ व शुद्ध सामग्री मिलें, उसमें किसी तरह मिलावट नहीं हो। समय पर वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हों, तभी यह योजना अच्छी हो सकती है।

अभी राशन की दुकानों पर सामान नहीं मिलता। मिलता है तो सुबह से शाम तक लाईन में लगना होता है। कई बार आटा भी बदबूदार मिलता है। राशनवाला बाजार में सामान बेचकर फायदा उठाता है। शिकायत करने पर अधिकारी भी नहीं सुनते। - ममता पल्लीवाल, कोटा

अलग से बनेंगे राशन कार्ड

खाद्य सुरक्षा बिल के लाभार्थियों के अलग से राशन कार्ड बनाने और इसमें महिलाओं को मुखिया बनाने के प्रावधान रखे गए हैं।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रेम चन्द मिश्रा ने जयपुर में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा के तहत किसी व्यक्ति को यदि अनाज नहीं मिलता है, तो इसकी एवज में खाद्य सुरक्षा भत्ता नकद देने का भी प्रावधान रखा गया है। पांच किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिले इसकी गारंटी रहेगी। लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार कार्ड का उपयोग किया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कटूस', जयपुर